

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 11/अपील/मुरैना/भूरा/2018/

अपील-२५४७/२०१८/भिण्ड/भूरा

शिवराम पुत्र छोटेलाल जाति कोरी निवासी
ग्राम बुजर्ग तहसील मेंहगांव, जिला भिण्ड
(म.प्र.)

श्री प्रदीप श्रीवास्तव
पेरा आर 75 5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 24 5 18

महोदय कोर्ट
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर 5-18

श्रीवास्तव
प्रदीप श्रीवास्तव
एड

..... आवेदक

विरुद्ध

1. मोहरमन पुत्र धनीराम
2. रामकुमार पुत्र सीताराम
निवासीगण- ग्राम बुजर्ग तहसील
मेंहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध
न्यायालय श्री आर.बी. प्रजापति अपर आयुक्त महोदय चम्बल
संभाग मुरैना के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 381/16-17
अपील में पारित आदेश दिनांक 02.04.2018

शिववता, ग्वालियर

पृष्ठ क्र. 02
दिनांक 15/4/18
हस्ताक्षर वः

माननीय महोदय,


आवेदक की अपील निम्न व तथ्य व आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदक द्वारा अधीनस्थ मूल न्यायालय कलेक्टर के यहां इस आशय का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 107, प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि नक्शा खसरा नं. 678/7 रकवा 0.058 है. बंदोबस्त पूर्व का नये आराजी मौजा गोरम का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-2987/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/05/2019	<p>अपीलार्थी शिवराम स्वयं उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वे अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत अपीलार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। तथा यह प्रकरण इसी स्तर पर नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	